चार घंटे में पाया जा सका लपटों पर काबू

# जीएनटी मार्केट में आग एक चौकीदार झुलसा

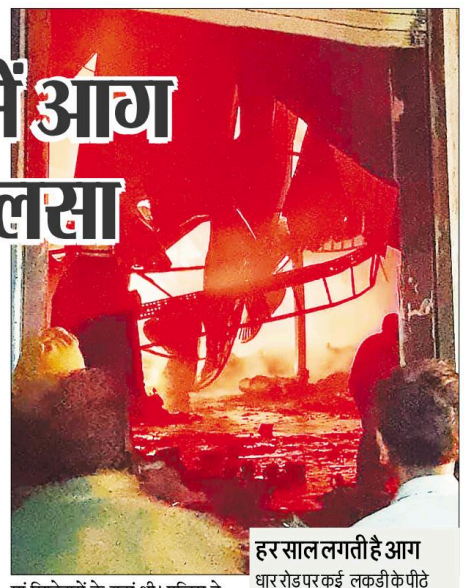

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584691000

धार रोड स्थित जीएनटी मार्केट में एक दुकान पर शुक्रवार तड़के 4 बजे आग लग गई। इस दौरान वहां मौजूद एक चौकीदार झुलस गया। मौके पर तीन फायर स्टेशनों से पहुंचे 4 दमकल वाहनों की मदद से करीब 4 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। आग में आरा मशीनें और लकड़ियों के साथ पूरा शेड ही जल गया। आग लगने का कारण अज्ञात है।

फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार तड़के करीब 4.15 बजे न्यू जीएनटी मार्केट में अक्षर लेमिनेट्स में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर जीएनटी फायर स्टेशन, मोती तबेला और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से करीब 25 कर्मचारियों की टीम पहुंची। यहां के चौकीदारों ने पास के फायर स्टेशन पहुंचकर आग की सूचना दी थी। करीब एक लाख लीटर पानी की मदद से 4 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया गया और आग को फैलने से रोक लिया गया।

फायर ब्रिगेड ने बताया कि हादसे में चीकू उर्फ चिंटू नाम का गोकुल टिंबर का कर्मचारी भी झुलसा है। चीकू अंदर ही कमरे में रहता था। आग लगने के बाद वह बाहर आ गया। इस दौरान उसका हाथ और चेहरा जला है। बताया जाता है कि इस टिंबर मार्केट में चीकू अपनी मां के साथ रहता है। मां रिश्तेदारों के यहां थी। पुलिस ने चीकू को उपचार के लिए पहले जिला अस्पताल भेजा। इसके बाद उसे एमवाय में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसका बर्न यूनिट में उपचार चल रहा है।

**हर साल लगती है आग**

धार रोड पर कई लकड़ी के पीठे और शोरूम हैं। यहां पर हर साल आगजनी की घटना होती है। यहां पर सब फायर स्टेशन भी खोला गया है, जिससे आगजनी की घटना के तत्काल बाद यहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच सके।

## बाइक से कट लगने का आरोप लगाते मारा चाकू

**इंदौर।** बाइक से कट लगने का आरोप लगाते हुए बाइक सवार से दो लोगों ने विवाद किया और उसे चाकू मार दिया। खुड़ैल पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय फरहान शेख निवासी आठ मील घटना में घायल हुआ। उसकी शिकायत पर पुलिस ने आठ मील निवासी सुशील और नीतेश पर केस दर्ज किया है। फरहान गजानंद आटा कंपनी के पास से गुजर रहा था, तब दोनों आरोपियों ने उससे गाड़ी से कट लगने का आरोप लगाते हुए विवाद कर हमला कर दिया।

# 50 हजार का इनामी भू-माफिया आया क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584691000

क्राइम ब्रांच ने लोगों से प्लॉट के नाम पर ठगी करने वाले फरार भूमाफिया अहमद जिवानी को पकड़ा है। आरोपी पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। फरारी के दौरान आरोपी शारजाह (दुबई), नागपुर, हैदराबाद, नासिक, दिल्ली, मुम्बई इत्यादि जगह पर फरारी काट रहा था।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए निर्देश दिए गए थे। क्राइम ब्रांच ऐसे बदमाशों की धरपकड़ में लगी थी। इसी बीच क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि थाना विजय नगर, थाना कनाड़िया, थाना बेटमा, थाना किशनगंज में दर्ज मामलों का फरार आरोपी अहमद जिवानी शहर में आया है। इसके बाद उसे घेराबंदी कर पकड़ा है।

### महाराष्ट्र में भी हैं केस, एक दर्जन मामलों में अपराधी

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ इंदौर के अलावा सीताबर्डी (नागपुर), अम्बड़ (नासिक), एमपी नगर (भोपाल), तेलीबांदा (रायपुर) में भी केस दर्ज हैं। आरोपी द्वारा फोनिक्स इंफ्रा में अपने भूमाफिया साथियों के साथ मिलकर आवासीय कॉलोनी नेचरल वैली ग्राम बेटमा खुर्द, मोहना एवं शामली में निर्मित आवासीय कॉलोनी में भूखण्ड दिखाकर अनुबंध कर करोड़ों रुपया जमा करवा लिए, परंतु लोगों द्वारा रुपए जमा करने के बाद भी उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई और धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद केस दर्ज किया गया था। आरोपी कंपनी में एमडी की भूमिका में था।

# कार में चाबी रखना महिला जज को पड़ा भारी, ड्राइवर ने कर ली चोरी

रिटायर्ड महिला टीआई के घर पर भी हुई चोरी

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584691000

शहर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के विभिन्न थाना इलाकों में चोरी के मामले सामने आए हैं। तिलकनगर थाना क्षेत्र के पीपल्याहाना में महिला जज की कार से घर की चाबी निकालकर ड्राइवर घर में घुसा और नकदी सहित अन्य सामान चुराकर फरार हो गया। इसी तरह एरोड्रम थाना इलाके में रहने वाली रिटायर्ड महिला टीआई के घर में घुसकर चोरों ने वारदात की। पुलिस ने 15 दिन बाद मामले में एफआईआर की है।

तिलक नगर थाना पुलिस ने बताया कि जिला कोर्ट की एक महिला जज की शिकायत पर केस दर्ज किया है। महिला जज ने अपने ड्राइवर शंकर पर केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक महिला जज का पीपल्याहाना में घर है। उन्होंने बताया कि उनके घर की चाबी कार के बॉक्स में रहती है। गुरुवार को जब वह कोर्ट से बाहर आई तो उन्होंने ड्राइवर शंकर को काफी कॉल किए। तब शंकर ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके काफी देर बाद वह नशे में पहुंचा। तब उससे गाड़ी की चाबी लेकर भगा दिया। इसके बाद महिला जज घर पहुंची तो कार में चाबी नहीं थी। उन्होंने दरवाजे का लॉक तुड़वाया। वहां खून के धब्बों के साथ ड्राइवर का मोबाइल भी मिला। बेडरूम में अलमारी के लॉक टूटे मिले, जिसमें नकदी गायब थी। बाद में कोर्ट के कर्मचारी वहां पहुंचे और पुलिस को बुलाया। पुलिस इस मामले में महिला जज के ड्राइवर शंकर की तलाश में जुट गई है।

**कांच की खिड़की खोलकर घुसे चोर-** इसी तरह एरोड्रम थाने के स्कीम नंबर 51 निवासी सत्यप्रभा शर्मा (75) ने बताया कि अज्ञात बदमाश कांच की खिड़की खोलकर अंदर घुस गए और पचास हजार रुपए नकदी सहित आभूषण लेकर फरार हो गए। शर्मा ने पुलिस को बताया कि वह 20 जनवरी को बेटी के यहां उज्जैन गई थीं। 26 जनवरी को उन्हें पड़ोसी ने कॉल कर चोरी की जानकारी दी। दामाद के साथ इंदौर पहुंची और बेडरूम चैक किया तो तीन अलमारी टूटी पड़ी थीं। सोने-चांदी के लाखों रुपए के जेवर और नकदी गायब थे। पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

**कंसल्टेंट और लोहा व्यापारी के यहां भी चोरी-** लसूड़िया इलाके में कंसल्टेंट के यहां चोरी की वारदात हो गई। लिजो निवासी वैलमोंट पार्क ने बताया कि वह अपने घर पर ताला लगाकर पिता के घर सुखलिया गए थे। इस दौरान बदमाश खिड़की के रास्ते अंदर घुसे। चोर यहां से सात महंगी घड़ियां, सोने के हार, अंगूठी, टाप्स और 10 हजार रुपए कैश चुराकर ले गए। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।

### शोरूम से उड़ा लिए 25 हजार रुपए

इधर, बाणगंगा इलाके में चोरों ने एक शोरूम को निशाना बनाया और 25 हजार रु. चुरा ले गए। पुलिस के मुताबिक चोरी की घटना लवकुश चौराहा के पास संतोष कार प्रालि शोरूम में हुई। फरियादी सुधांशु पिता शांति कुमार जोशी निवासी क्लर्क कॉलोनी परदेशीपुरा की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी पर केस दर्ज किया है। अज्ञात आरोपी शोरूम का ताला तोड़कर घुसे व तिजोरी का भी ताला तोड़ दिया। उसमें रखे करीब 25 हजार रुपए चुरा ले गए।

### शादी समारोह से लौटे तो घर का ताला टूटा मिला

चोरी की वारदात थाना खजराना इलाके में भी रिंग रोड से लगी कॉलोनी स्कीम नंबर 94 में एक मकान में हुई। फरियादी मुशर्रफ अहमद पिता मुस्तकीम अहमद ने पुलिस को बताया कि वे अपने घर में ताला लगाकर शादी समारोह में शामिल होने चला गया था। वहां से वापस आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था। अज्ञात आरोपी नकद रुपए के साथ सोने-चांदी के आभूषण चुरा ले गए।

# कचरा फेंककर भाग रहे युवकों ने निगम अधिकारियों से की झूमाझटकी, केस दर्ज

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584691000

चोइथराम मंडी के समीप खाली प्लॉट पर कचरा फेंककर भाग रहे बाइक सवार तीन युवकों को निगम अमले ने पकड़ लिया। आरोपियों ने जुर्माना भरने से मना किया और निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के साथ झूमाझटकी कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हो गईं।

दरअसल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कह दिया- तमाम जिहाद के बाद यह वर्ग विशेष का कचरा जिहाद है, जो लोग नहीं चाहते हैं कि इंदौर सफाई में नंबर वन बने, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह भाजपा का बयानबाजी का जिहाद है, जो लोग गंदगी कर रहे उन पर कार्रवाई हो।

थाना राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक... घटना चोइथराम मंडी गैस प्लांट के पास गुरुवार को हुई। पुलिस ने जोन-13 के प्रभारी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक विकास पिता शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट पर आरोपी हाफिज महफूज निवासी पूरणदास की बगिया गुलजार कॉलोनी, मतीन और तौफिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरियादी विकास ने पुलिस को बताया कि मैं अपनी ड्यूटी पर चोइथराम मंडी के पास उपस्थित था और अधिकारी के साथ सफाई कार्य करवा रहा था। उसी दौरान बाइक नंबर (एमपी-12 एन-3946) पर सवार आरोपी महफूज और साथी कचरा लेकर आए और हमारे सामने रोड किनारे फेंककर भागने लगे। हमने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें कचरा फेंकने को लेकर चालान राशि जमा कराने को कहा तो चालान भरने से साफ इनकार कर विवाद किया। गाली-गलौज कर धक्का-मुक्की की।

### भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी...

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेन्द्र सलूजा ने मुस्लिम युवकों द्वारा गंदगी फैलाने की घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा- थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद कहीं ये कचरा जिहाद तो नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा- ये बयान नहीं, बल्कि बयान जिहाद है। स्वच्छता के साथ कोई खिलवाड़ करे तो कार्रवाई होना भी लाजमी है, लेकिन इस पर भी बयानबाजी करना बयान जिहाद है।

## परीक्षा के पहले 11वीं की छात्रा ने लगाई फांसी

**इंदौर।** शहर में लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को 11वीं कक्षा की छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजन ने फंदे पर लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा। हीरानगर थाना पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के वीना नगर में रहने वाली 16 वर्षीय ऋतिका नामक किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी आज परीक्षा थी, लेकिन उससे पहले ही यह कदम उठा लिया। उसके पिता ने बतलाया कि एक्जाम को लेकर ही ऋतिका कुछ परेशान-सी थी। संभवतः इसी कारण उसने यह कदम उठाया है।

## फांसी लगाकर दी जान

**इंदौर।** एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि उसका पत्नी से विवाद हुआ था। तेजाजी नगर पुलिस ने बताया सुभाष पिता कालूसिंह नि. तपालघाटी को फंदे से उतारकर एमवाय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत बता दिया। पड़ताल में यह बात सामने आ रही है कि उसका पत्नी से विवाद हुआ था, उसके बाद उसने यह कदम उठाया।

## लालच में फंस गंवा दी दूसरे की गाड़ी

**इंदौर।** आजाद नगर थाना इलाके में वाहन चोरी का मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति पड़ोसी का स्कूटर मांगकर मोबाइल रिचार्ज करवाने दुकान पर पहुंचा। वहां पर दुकानदार को बदमाश ने सस्ता तेल का डिब्बा दिलवाने का लालच दिया। दुकानदार ने ग्राहक से स्कूटर मांगकर अपने बेटे को तेल लेने भेजा। बदमाश व्यापारी के बेटे को झांसा देकर स्कूटर लेकर भाग गया। आजाद नगर थाना पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार की है। बंशीलाल निवासी भील कॉलोनी ने पुलिस को बताया कि वह अपने पड़ोस में रहने वाली आशा नामक महिला की स्कूटर मांगकर मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए पहुंचा था। यहां पर दुकानदार सुरेन्द्र सिंह था, तभी एक व्यक्ति पीछे से आया और सुरेन्द्र सिंह से सस्ते में तेल का डिब्बा देने की बात कही। उसने कहा कि कुछ दूरी पर उसका घर है, वहां से डिब्बा उठाकर लाना पड़ेगा। इस पर सुरेन्द्र ने बंशीलाल से एक्टिवा मांगी और बेटे को तेल का डिब्बा देने वाले व्यक्ति के साथ भेज दिया। जिला जेल के पास पहुंचने पर एक्टिवा सवार ने गाड़ी से किराना दुकान संचालक के बेटे को उतरने के लिए कहा और गली के अंदर से डिब्बा लाने की बात कही। बेटे के उतरते ही वह एक्टिवा लेकर फरार हो गया। काफी देर तक किराना दुकान संचालक का बेटा उसका इंतजार करता रहा। इसके बाद दुकान पर जाकर अपने पिता सुरेन्द्र और बंशीलाल को जानकारी दी। पुलिस अब गाड़ी और आरोपी की तलाश कर रही है।


**कोटक महिन्द्रा बैंक लि.**

कार्पोरेट पहचान नं. एल65110एमएच1985पीएलसी038137).
पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी27, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा(ई), मुम्बई-400 051
कार्पोरेट कार्यालय: कोटक इनफिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, ऑफ.डब्ल्यू.ई. हाइवे, गोरेगांव, मुम्बई-400 097
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय: कोटर महिन्द्रा बैंक लि., पांचवी मंजिल, मेट्रो टॉवर विजय नगर, इंदौर (म.प्र.) 452001

**ई- नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना**

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी** द्वारा 29-03-2023 को लिया गया है। जिसे **''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मे. सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यानि www.c1india.com के वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

| ऋणकर्ता(ओं) का नाम/जमानतदार(रों) का नाम/बंधककर्ता(ओं) | मांग पत्र दिनांक एवं राशि | सुरक्षित बंधक का विवरण (अचल संपत्ति) |
|---|---|---|
| (एचएफ ऋण संख्या एचएफ38147196 और सीआरएन संख्या 313716826,) 1. श्री लोकेश कुमार छाजेड़ पिता स्वर्गीय श्री सुभाष छाजेड़ पता : 201 विर उत्सव अपार्टमेंट 62-1 मनोरमा गंज इंदौर (एमपी) 452001 ...उधारकर्ता 2. मे. छाजेड़ एंटरप्राइजेज, पता : प्लॉट नंबर आर/19 पोलोग्राउंड इंडस्ट्रीयल एस्टेट ग्राम कस्बा पार्ट सी डी इंदौर (एमपी)452015 3. श्रीमती सुशीला छाजेड़ पति स्वर्गीय श्री सुभाष छाजेड़, पता है : 201 विर उत्सव अपार्टमेंट 62-1 मनोरमा गंज इंदौर (एमपी) 452001. ...सह-उधारकर्ता/गारंटर 4. श्रीमती पूर्णिमा छाजेड़ पति श्री लोकेश कुमार छाजेड़ पता है : 201 विर उत्सवअपार्टमेंट 62-1 मनोरमा गंज इंदौर (एमपी) 452001. ...सह-उधारकर्ता/गारंटर 5. मैसर्स. सुभाष मैन्युफैक्चर्स का पता : 2ए 2बी अमृत प्लाजा 220-21 खजूरी बाजार इंदौर एमपी 452001 ...सह-उधारकर्ता/गारंटर | डिमांड नोटिस दिनांक 21-09-2021, रु. 25, 04,417.14/- (21-09-2021 को रुपये पच्चीस लाख चार हजार चार सौ सत्रह चौदह पैसे मात्र) | निम्नलिखित संपत्तियों पर बंधक : फ्लैट नंबर 201, "विर उत्सव अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 1 ब्लॉक नंबर 62-1 की दूसरी मंजिल मनोरमा गंज जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) 452001 सुपर निर्मित क्षेत्र 1937 वर्ग फुट उस पर स्थित संपूर्ण निर्माण के साथ इंदौर के उप जिले के अंतर्गत इंदौर में स्थित है और इसकी सीमा इस प्रकार है : - पूर्व : भवन का खुला स्थान, पश्चिम : भवन का खुला स्थान, उत्तर : फ्लैट नंबर 202 और 203, दक्षिण : सड़क के बाद वहां भवन की खुली जगह |

| आरक्षित मूल्य | बयाना जमा राशि (ईएमडी) |
|---|---|
| रु. 65,37,000/- (रुपये पैंसठ लाख सैंतीस हजार मात्र) | आरपी राशि का 10% रु. 6,53,700/- (छह लाख तिरेपन हजार सात सौ मात्र) |

| बोली वृद्धि राशि | अचल संपत्तियों का निरीक्षण दिनांक | नीलामी का दिनांक/समय |
|---|---|---|
| रु. 50,000/- | 25/02/2025 11:00 hrs – 12:00 hrs | 11-03-2025 11.00 बजे से 12.00 बजे तक |

ऑफर/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि :- 10/03/2025 शाम 5.00 बजे तक

**बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :**

(1) नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** की वेबसाइट देख सकते हैं यानी **https://www.bankeauctions.com** ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण और बोली प्रपत्र जो आनलाईन जमा किया जाएगा। (2) सभी इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुफ्त में जेनरेट करना होगा। पूर्वांकित तिथि और समय पर ; (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग से श्री धारानी कृष्णा मोबाइल नंबर: 9948182222** और **ई-मेल आईडी:** mpcg@c1india.com और **support@bankeauctions.com** से संपर्क कर सकते है। (4) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति/संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाता पूर्व नियुक्ति के साथ ऊपर बताए गए अनुसार संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं या किसी अन्य तिथि और समय पर जा सकते हैं और उन्हें अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, ई-नीलामी पर रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन KMBL की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे KMBL को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा; ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को वेब पोर्टल (https://www.bankeauctions.com) पर ऊपर उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति के ब्याज-मुक्त वापसी योग्य बयाना राशि (ईएमडी) के भुगतान का विवरण प्रस्तुत/अपलोड करना होगा, जो कि 'कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड' के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से हो, साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास पते का प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्ताव और ऊपर निर्दिष्ट पते के प्रमाण की स्वयं सत्यापित प्रतियां भी साथ लानी होंगी। (5) अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी जो ई-नीलामी में सफल नहीं हुए, उन्हें केएमबीएल द्वारा ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। (6) सफल बोलीदाता (बिक्री आय में से) पर टीडीएस के रूप में बिक्री मूल्य का 1% का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% की कटौती के बाद) जमा करेगा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 15 कार्य दिवसों के भीतर ईएमडी को समायोजित करेगा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे गए किसी अन्य विस्तारित समय के भीतर, अन्यथा अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

**सरफेसी अधिनियम के नियम 6 (2), 8 (6) और 9 (1)** के तहत ऋणी/बंधक/गारंटर को एतद्वारा **15 दिनों** का वैधानिक नोटिस दिया जाता है। ताकि देयता का पूर्ण निर्वहन किया जा सके और भुगतान किया जा सके। इस नोटिस की तारीख से तीस दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। यदि उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता बैंक को देय राशि का भुगतान बिक्री की तारीख से पहले पूरी तरह से कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए हमारे अधिकृत अधिकारी **श्री प्रशांत सातपुते @9724433999 और श्री अशोक मोटवानी @ 9873737351** पर बैंक के उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें।

**विशेष निर्देश :-** ई-नीलामी हमारे सेवा प्रदाता **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** द्वारा संचालित की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) की ओर से, पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर, जबकि बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वयं के घर/कार्यालयों/अपनी बोली के स्थान से उद्धृत करना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामग्री आवश्यकताओं को बोली लगाने वालों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से जो भी हो) की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी और न तो केएमबीएल और न ही **सी1 इंडिया प्राइवेट। लिमिटेड** इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जो भी आवश्यक हों, करें ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। तथापि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए अपनी बोली को उद्धृत करने/सुधारने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

स्थान : इंदौर (म.प्र.) दिनांक : 08.02.2025
हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड



**एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)**

A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN: L36911RJ1996PLC011381)

**परिशिष्ट IV [ देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना ]**

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का सपठित नियमों के नियम 3 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमितकर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

| ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर / ऋण खाता संख्या | धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि | स्थावर सम्पत्ति का विवरण | कब्जे की तारीख |
|---|---|---|---|
| (ऋण खाता संख्या) L9001060828505595, शिव नारायण पाटीदार (ऋणी), नानलाल पाटीदार (सहऋणी), अरविन्द योगी (गारंटर) | 16-नवम्बर-24 ₹ 3,77,209/- तीन लाख सतहत्तर हजार दो सौ नौ रूपये मात्र 12-नवम्बर-24 तक | रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 67, पिण्डा नं. 17, ग्राम पिन्डा, जिला मंदसौर, मप्र क्षेत्रफल 252 वर्ग फीट | 04-फरवरी-25 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060118990403 & L9001060826050217, जगदीश डांगी (ऋणी), श्रीमती कमला डांगी (सहऋणी) | 13-नवम्बर-24 ₹ 2,00,702/- दो लाख सात सौ दो रूपये मात्र एवं ₹ 2,00,360/- दो लाख तीन सौ साठ रूपये मात्र 12-नवम्बर-24 तक | रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 54, खसरा नं. 419, ग्राम एवं तहसील कल्याणपुरा, जिला मंदसौर, मप्र क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट | 04-फरवरी-25 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060123490967, नरेन्द्र लुहार (ऋणी), श्रीमती पूजा लुहार (सहऋणी), रवि प्रकाश लुहार (सहऋणी) | 16-नवम्बर-24 ₹ 2,95,428/- दो लाख पिच्यानवे हजार चार सौ अट्ठाईस रूपये मात्र 14-नवम्बर-24 तक | रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित खसरा नं. 498, पीएच नं. 45, ग्राम मुंडाला, तहसील सीतामहू, जिला मंदसौर, मप्र क्षेत्रफल 1020 वर्ग फीट | 04-फरवरी-25 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060130936562, मनीष (ऋणी), श्रीमती आशा मालवीय (सहऋणी), अशोक सोलंकी (गारंटर) | 11-अक्टूबर-24 ₹ 3,87,321/- तीन लाख सतासी हजार तीन सौ इक्कीस रूपये मात्र 10-अक्टूबर-24 तक | रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित सर्वे नं. 1348-2-मिन-6-मिन-1-1 पे की, पीएच नं. 22, नया 37, ग्राम पंचायत खेडा, तहसील सीतामहू, जिला मंदसौर, मप्र क्षेत्रफल 200 वर्ग फीट | 04-फरवरी-25 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060134281567, फिरोज खान (ऋणी), श्रीमती रूकसाना बी (सहऋणी), अब्दुल करीम खान (सहऋणी), कृपाल सिंह (गारंटर) | 11-अक्टूबर-24 ₹ 4,82,224/- चार लाख बयासी हजार दो सौ चौबीस रूपये मात्र 10-अक्टूबर-24 तक | रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 36, मकान पंजीकरण नं. 443, वार्ड नं. 3, ग्राम बिलनतारी, जिला मंदसौर, मप्र क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट | 04-फरवरी-25 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060135614313, धर्मेन्द्र (ऋणी), राधाकिशन (सहऋणी), श्रीमती लक्ष्मी बाई (सहऋणी), संदीप (गारंटर) | 14-नवम्बर-24 ₹ 3,98,332/- तीन लाख अठानवे हजार तीन सौ बत्तीस रूपये मात्र 13-नवम्बर-24 तक | रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित खसरा नं. 714, पीएच नं. 43, राधाकिशन बडवान का प्लॉट, जिला मंदसौर, मप्र क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट | 04-फरवरी-25 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060124700290, बैरागी इलेक्ट्रॉनिक्स (ऋणी), दिनेश कुमार (सहऋणी), श्रीमती राधा बैरागी (सहऋणी) | 14-नवम्बर-24 ₹ 7,93,495/- सात लाख तिरानवे हजार चार सौ पिच्यानवे रूपये मात्र 13-नवम्बर-24 तक | रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित सरल नं. 2142, मकान नं. 06, पीएच नं. 61, ग्राम पंचायत जमोडी, ग्राम भांगराडी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मप्र क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट | 05-फरवरी-25 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001709925326574, महेन्द्र राठौड (ऋणी), श्रीमती लल्ली राठौड (सहऋणी) | 14-नवम्बर-24 ₹ 12,42,949/- बारह लाख बयालीस हजार नौ सौ उनचास रूपये मात्र 12-नवम्बर-24 तक | रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित बी बी नं. 0ए्ल, पीएच नं. 5/14, खसरा नं. 302 303 304/2, 323 प्ल